

## प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

### प्रलिस के लिये:

[संसदीय स्थायी समिति](#), [प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना](#), [भारतीय जीवन बीमा नगिम](#), [अटल पेंशन योजना](#), [ई-श्रम पोर्टल](#)

### मेन्स के लिये:

असंगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, नीतिभूल्याँकन में संसदीय समितियों की भूमिका, वृत्तीय समावेशन।

[स्रोत: फाइनेंसयिल एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

संसद की [स्थायी समिति \(PSC\)](#) की रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये पेंशन योजना, [प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना \(PM-SMY\)](#) के खराब प्रदर्शन पर चर्चा जताई गई है।

## प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

- **परिचय:** यह वर्ष 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, तथा [भारतीय जीवन बीमा नगिम \(LIC\)](#) पेंशन फंड प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- **लक्ष्य लाभार्थी:** यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के [असंगठित श्रमिकों](#), जैसे स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, निर्माण मज़दूर और कृषि श्रमिकों को लक्ष्य करती है, जिनकी मासिक आय **15,000 रुपए तक** है।
- **अंशदान:** श्रमिकों को उनकी प्रवेश आयु के आधार पर **55 रुपए से 200 रुपए तक** का मासिक अंशदान (प्रीमियम) करना होता है, सरकार उनके अंशदान के बराबर राशि जमा करती है।
- **पेंशन लाभ:** इस योजना के तहत श्रमिकों के **60 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों को 3,000 रुपए प्रतिमाह** पेंशन देने का वादा किया गया है। हालाँकि, यदि श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो उसके परिवार को कोई एकमुश्त भुगतान नहीं किया जाता है।
  - अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, उनके जीवनसाथी को पेंशन राशि का **50% पारिवारिक पेंशन** के रूप में प्राप्त होगा।

## PM-SMY पर स्थायी समितिकी रिपोर्ट के मुख्य बंदि क्या हैं?

- **PM-SMY का नरिशाजनक प्रदर्शन:** नामांकन और सरकारी वृत्तपोषण में कमी के कारण PM-SMY योजना का प्रदर्शन नरिशाजनक रहा है।
  - दो वर्षों में सरकारी अंशदान लगभग आधा हो गया है तथा वास्तविक व्यय वृत्त वर्ष 2023-24 में घटकर **162.51 करोड़ रुपए** रह गया, जो वृत्त वर्ष 2021-22 में **324.23 करोड़ रुपए** था।
  - व्यय में कमी श्रमिकों और सरकार दोनों के योगदान में गरीबट को दर्शाती है, जिससे योजना की व्यवहार्यता और भी कमज़ोर हो जाती है।
- **PM-SMY का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 100 मिलियन श्रमिकों को नामांकित करना था, लेकिन वृत्त वर्ष 24 तक यह केवल 5 मिलियन तक ही पहुँच सका, जो 565 मिलियन असंगठित कार्यबल के 1% से भी कम को कवर करता है।**
  - हालाँकि, सरकार ने इस योजना को एक और वर्ष, अर्थात् वृत्त वर्ष 2025-26 तक, बढ़ा दिया है, तथा इसके आकर्षण को बढ़ाने के लिये संशोधन की प्रतीक्षा कर रही है।
- **नरिशाजनक प्रदर्शन के कारण:**
  - **आय संबंधी चुनौतियाँ:** अनयिमति आय और अस्थिर रोजगार के कारण **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों**, विशेषकर दैनिक वेतन भोगियों के लिये **55-200 रुपए** का मासिक प्रीमियम वहन करना कठिन हो जाता है, जिससे उनकी भागीदारी की क्षमता और कम हो जाती है।
    - **कोवडि-19 का प्रभाव:** महामारी ने कई असंगठित श्रमिकों की वृत्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, जिससे योजना में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।

- **संरचनात्मक बाधाएँ:** असंगठित क्षेत्र में औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अभाव, अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और जागरूकता के कारण श्रमिकों के लिये योजना तक पहुँचने में चुनौतियों का कारण बनता है।
  - मौजूदा पेंशन वकिलप: **अटल पेंशन योजना (APY)** जैसी अन्य पेंशन योजनाओं की मौजूदगी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे श्रमिकों को यह अनिश्चितता हो सकती है कि उन्हें किस योजना का चयन करना चाहिये।
- **योजना के पुनरुद्धार हेतु सफ़ारिशें:**
  - **प्रवेश आयु का वसितार:** पुराने असंगठित श्रमिकों को शामिल करने के लिये पात्रता आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करना।
  - योजना का वलिय: बेहतर संरेखण और कवरेज के लिये PM-SMY को APY और **प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना** के साथ जोड़ना।
  - ई-श्रम पोर्टल: 305 मिलियन से अधिक श्रमिकों के डेटाबेस वाला **ई-श्रम पोर्टल**, PM-SMY के लिये लाभार्थियों को शामिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - **PM-SMY को ई-श्रम डेटाबेस** के साथ एकीकृत करने से नामांकन सुव्यवस्थित हो सकता है और व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** उन श्रमिकों के लिये अंशदान को कवर करने हेतु **सब्सिडी** शुरू करना जो अपनी जेब से भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
  - **जागरूकता अभियान:** योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गलत सूचना को कम करने के लिये लक्ष्यित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।

## संसदीय समितियाँ

- **परिचय:** संसदीय समितियाँ (PC) **संसद सदस्यों (MP)** की समितियाँ होती हैं जिनमें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
  - ये समितियाँ अपना अधिकार **अनुच्छेद 105 (सांसदों के विशेषाधिकार)** और **अनुच्छेद 118 (कार्य-प्रक्रिया और संचालन के नियम)** से प्राप्त करती हैं।
- **आवश्यकता:** **संसद** में सीमांत समय के कारण, वसित चर्चा, **वर्षाज्ज इनपुट और अंतर-दलीय सहमति** के लिये PC आवश्यक है।
  - वे वधियकों और नीतियों की गहन जाँच करते हैं, प्रभावी वधायी कार्य सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचते हैं।
- **संसदीय समितियों के प्रकार:**
  - **स्थायी समितियाँ संसद के अंतर्गत स्थायी और सतत निकाय** हैं जो वधायी कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - इनमें वलित्तीय समितियाँ (व्यय की जाँच), वधायीय समितियाँ (मंत्रालयों की देखरेख), जाँच समितियाँ (मुद्दों की जाँच), संवीक्षा समितियाँ (नीतितगत जवाबदेही सुनिश्चित करना), दनि-प्रतदिनि की व्यावसायिक समितियाँ (प्रक्रियाओं का प्रबंधन) और सेवा समितियाँ (लॉजस्टिक्स को संभालना) शामिल हैं।
  - **तदर्थ समितियाँ** वशिष्ट कार्यों के लिये गठित अस्थायी पैनल हैं, जनिमें जाँच समितियाँ और वशिषज्ज सफ़ारिशों के लिये सलाहकार समितियाँ शामिल हैं।
    - अपना कार्य पूरा हो जाने पर वे समाप्त हो जाती हैं।

## असंगठित श्रमिक कौन हैं?

- **परिचय:** **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** के तहत परिभाषित असंगठित श्रमिक शब्द का तात्पर्य असंगठित क्षेत्र में घर-आधारित श्रमिकों, स्व-नियोजित श्रमिकों या मजदूरी करने वाले श्रमिकों से है।
  - इसके अतिरिक्त, **संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी असंगठित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है** यदि वे **प्रमुख श्रम कानूनों** के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, जनिमें **कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923**, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भवषिय नधि अधिनियम, 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 शामिल हैं।
- **असंगठित श्रमिकों के लिये पहल:**
  - **ई-श्रम पोर्टल**
  - **अटल पेंशन योजना**
  - **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**
  - **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
  - **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना**
  - **आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**

???????? ???? ?????:

**प्रश्न:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाइये।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न**

?????????????

**प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)**

- (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- (b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
- (c) वृद्ध एवं नसिस्हाय लोगों को पेंशन प्रदान करना
- (d) कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का नधियन करना

**उत्तर: (a)**

**प्रश्न. 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- 1. यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है।
- 2. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।
- 3. अभिदाता (सब्सक्राइबर) की मृत्यु के पश्चात् जीवनसाथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रहती है।

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (c)**

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-shram-yogi-maandhan-yojana>

